

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

वार्ड क्रमांक 1 व 29 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

नगर के 14 वार्डों बने जीरो वेस्ट वार्ड

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम 18 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 33ए 34ए 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 18 मार्च गुरुवार से वार्ड क्रमांक 01 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1ए 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 29ए 33ए 34ए 41 व 44 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एपीनए ग्लबसए

मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबं धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

18 कलो पॉलीथीन को जब्त कया गया

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधत

रतलाम 18 मार्च । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेष ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500ए परी णत जैन धानमण्डी पर 1500ए हरीष अग्रवाल षहर सराय पर 500ए मुन्नाभाईए राजकमलए हीराबाईए राजूबाई नौलाईपुराए अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभयान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित
निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देश
रतलाम 18 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन
द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया
है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर
चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ
झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया क 50 माईक्रॉन
से कम मोटाई की हैण्डल सहित व हैण्डल रहित पॉलीथीन को पूर्णतः
प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ
ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डस्पोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया
जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए
नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें। प्लास्टिक व थर्मोकॉल से
निर्मित कपड़े ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर
पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से निर्मित बाउलए केले के तने
तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउलए मी के कुल्लहड
आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित
किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डस्पोजेबल आयटमों
के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की
कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर

5 को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 18 मार्च । संबल योजना के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं
कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व सूचना दिये जाने के
उपरान्त भी 17 मार्च बुधवार को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर निगम

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेखापाल सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया।

संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर पर जगदीश पांचाल-लेखापालए दिनेश राठौर व सुश्री दुर्गा शर्मा सहायक वर्ग-3ए प्रदीप उपाध्याय व अंजनीप्रसाद मश्रा सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

बजाजखाना गणेश देवरी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 59ए76ए144ए. संपत्तिकर व 13ए04ए160ए. जलकर जमा कराया

रतलाम 18 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ए. व जलकर 6ए000ए.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ए. व जलकर 55ए775ए.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विऱि में संपत्तिकर 2ए38ए000ए. व जलकर 49ए010ए.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ए. व जलकर 43ए670ए.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ए. व जलकर 29ए280ए.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ए. व जलकर 19ए850ए.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ए. व जलकर 48ए220ए.ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ए. व जलकर 14ए000ए.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ए. व जलकर 86ए540ए.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ए. व जलकर 3ए76ए905ए.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500ए. व

जलकर 76ए470ए.ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000ए. व जलकर 47ए595ए.ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000ए. व जलकर 22ए680ए.ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644ए. व जलकर 55ए320ए.ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000ए. व जलकर 59ए500ए.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144ए. व जलकर 6ए71ए025ए.ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000ए. व जलकर 19ए000ए.ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000ए. व जलकर 64ए780ए.ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000ए. व जलकर 66ए715ए.ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000ए. व जलकर 34ए340ए.ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000ए. व जलकर 44ए230ए.ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000ए. व जलकर 33ए940ए.ए जूनि कोर्ट करण टॉकज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000ए. व जलकर 56ए350ए.एआनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 86ए000ए. व जलकर 35ए140ए.ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670ए.ए महावीर नगर ष वर में संपत्तिकर 69ए000ए. व जलकर 21ए185ए.ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 3ए50ए000ए. व जलकर 66ए865ए.ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 1ए15ए000ए. व जलकर 25ए865ए.ए सायर चबुतरा ष वर में संपत्तिकर 2ए42ए000ए. व जलकर 70ए400ए.ए चौमुखील पुल ष वर में संपत्तिकर 4ए70ए000ए. व जलकर 43ए925ए. की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित ष वरों मेेे 59ए76ए144ए. संपत्तिकर व 13ए04ए160ए. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंटरल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेसन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सुवधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 25 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 18 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डों में 17 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 25 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें
रतलाम 18 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयण उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराण उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाश षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयण उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 18 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के

कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 18 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 18 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/18ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.